राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1806/2024

गब्दूराम

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, एम.आई.रोड़, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक :– 03.07.2024

समक्ष :– अनन्त भंडारी ,सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री सुनील धारीवाल उपस्थित।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि विभागीय जांच के अन्तर्गत सीसीए नियम 16 के तहत की गई कार्यवाही में आदेश दिनांक 06.05.1987 के द्वारा अपीलार्थी को सेवा से डिसमिस किया गया है। जिस आदेश को अपीलार्थी द्वारा इस अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि वह यह अपील प्रत्याहृत (Withdraw) करना चाहते हैं एवं सक्षम अधिकारी/न्यायालय के समक्ष आलोच्य आदेश को चुनौती देना चाहते हैं।
3. अपीलार्थी की ओर से अपील प्रत्याहृत (Withdraw) किये जाने के आधार पर अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम अधिकारी/न्यायालय के समक्ष अपील/याचिका दायर करने के लिये स्वतंत्र रहेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अपील के प्रस्तुत किये जाने के आधार पर अपीलार्थी को आलोच्य ओदश को चुनौती देने में हुई देरी के लिये लिमिटेशन को कंडोल कराने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)